परिशिष्ट

(प्रारुप क देखिये)

नगर पालिक निगम रायगढ़/परिषद् के सम्मिलन दिनांक 10.03.2017 (समय) 02:30 बजे दोपहर का स्थगित बैठक दिनांक 15.03.2017 (समय) 11:00 बजे सुबह में विचारण के लिये सम्मिलित विषयों की सूची :–

स.क्र.	विषय	
(क)	**पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना, यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो,**	
(ख)	**पार्षदों द्वारा पुछे गये प्रश्न तथा उनके उत्तर,**	
(ग)	**महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार के संबंध में जानकारी,**	
(घ)	**कार्यसूची के शेष कामकाज जो पूर्ववर्ती सम्मिलन में संपादित न किये जा सके हों,**	
1.	परिषद् सम्मिलन की बैठक दिनांक 22.01.2016, 23.01.2016, 28.01.2016, 03.02.2016 एवं 04.02.2016 के **प्रस्ताव क्र. 17** – राज्य प्रवर्तित गौरवपथ योजनांतर्गत सर्किट हाउस से उर्दना तक सड़क नाली फुटपाथ एवं डिवाईडर निर्माण हेतु प्रस्ताव राषि रू. 2159.40 लाख (इक्कीस करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार) मात्र MIC प्रस्ताव क्र. 05 में लिए गए निर्णय अनुसार स्वीकृति हेतु विचार। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत। सर्किट हाउस से उर्दना तक सड़क, नाली एवं डिवाईडर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त गौरव पथ योजना में निज भूमि/कब्जाधारी भूमि/विद्युत पोल हटाया जाना उसका मुआवजा की राषि भी प्राक्कलन में सम्मिलित कर तथा वर्तमान में तेरहवें वित्त आयोग के तहत उर्दना चौक से सर्किट हाउस पहाड़ की तरफ तक नाला निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलन तैयार कर विस्तृत जानकारी के साथ अगली बैठक में रखें। तद्नुसार पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत है।	निर्णय क्र.1–संशोधित प्राक्कलन सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है। जिसमें राज्य परिवर्तित योजना अंतर्गत गौरव पथ निर्माण में सड़क के दोनो और नाली,फुटपाथ,डिवाईडर एवं विद्युत व्यवस्था का संशोधित प्राक्कलन राशि रूपये **22,25,16,320.00** प्रस्ताव शासन को भेजा जावे, साथ ही चौडीकरण में आने वाले निज भू–स्वामियों को मुआवजे का प्रावधान रखते हुये 01 करोड रूपये राशि प्राक्कलन के साथ जोड़कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।
(ड.)	**समितियों या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा प्रस्ताव,**	
1.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 04/04/2016 की स्थगित बैठक दिनांक 06/04/2016 के	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में बेटी बचाव,बेटी पढ़ाओ चौक के स्थान पर रानी बसंत माला बेटी बचाव,बेटी पढ़ाओ चौक के नाम

निगम सचिव

स.क्र.	विषय	
	प्रस्ताव क्र. 11 – कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला रायगढ का पत्र क्रमांक 1489/म.बा.वि./बे.ब.बे.प./2015–16 रायगढ़ दिनांक 26.08.2015 के संबंध में नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र के रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे स्टेशन चौक का नामकरण "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" चौक के नाम किये जाने हेतु स्वीकृति विचारार्थ प्रस्तुत। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – अनुसंशा की जाती है परिषद बैठक में नामकरण हेतु रखा जावे। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	से नामकरण चौक का किया जाना उचित होगा। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग को पुनः संशोधित प्रस्ताव रानी बसंत माला बेटी बचाव,बेटी पढ़ाओ चौक के नामकरण के संबंध मे पत्र लिख कर अवगत कराते हुये, पत्र की मांग किया जावे। तदपश्चात् नामकरण के संबध में पुनः प्रस्ताव लाया जावे
2.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 29/07/2016 के **प्रस्ताव क्र. 4** – संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक या.प्र./एस.डब्लु.एम./4173 नया रायपुर दिनांक 17.05.2016 अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध नवीन नियम प्रभावशील किए गए है उक्त पत्र में राज पत्र दिनांक 08.04.2016 अनुसार ठोस अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन उपचार एवं अपवहन आदि का दायित्व निर्धारण किया गया है विचारार्थ प्रस्तुत। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – एक कार्यशाला रखा जावें एवं परिषद सम्मेलन में रखा जावे। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रस्ताव सर्वसम्मिति से स्वीकृत।
3.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 के **प्रस्ताव क्र. 01** – स्टेशन रोड कॉम्प्लेक्स आबंटन प्रक्रिया एवं उस पर निर्णय। **में लिये गये निर्णय अनुसार –** 1. प्रकरण विधिवत् निर्णय हेतु सामान्य सभा के माध्यम से राज्य शासन को भेजा जावे। 2. प्रभावित दुकानदारों के पुरानी दुकानों का बकाया किराया वसूली हेतु शेष है, उसकी वसूली की प्रक्रिया विधिवत् की जावे। 3. कॉम्प्लेक्स में वर्तमान में रिक्त दुकानों के विधिवत् नीलामी के माध्यम से आबंटन का प्रस्ताव एम.आई.सी. के समक्ष प्रस्तुत करे।	01. आबंटन प्रक्रिया नियमानुसार नही है। प्रकरण यथावत राज्य शासन को प्रेषित किया जावे। 02. आयुक्त नियमानुसार किरायादारों से कडाई से वसूली का कार्य करें। 03. एस पी काम्प्लेक्स में रिक्त दुकानों में, प्रथम तल में 55 दुकान एवं द्वितीय तल में 18 दुकान एवं 09 हाल की निलामी की स्वीकृति दी जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मिति से स्वीकृत।

c:\users\user\desktop\parishist bhawan.docx

नगरसचिव

स.क्र.	विषय	
	तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	
4.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 के **प्रस्ताव क्र. 06** – प्रतीक्षा बस स्टैण्ड प्रतिक्षालय के सदुपयोग पर चर्चा। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग हेतु सामान्य सभा में प्रकरण भेजा जावे। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	1. दुकान के कब्जाधारियो से दुकान खाली करवाया जाये। 2. पलिका बाजार एवं सब्जी मण्डी के रूप में भूमि उपयोग करने हेतु कार्य योजना तैयार कर अगामी बैठक मे रखा जावे।
5.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक 04.11.2016 के **प्रस्ताव क्र. 29** – जेल परिसर स्थित नगर पालिक निगम स्वामित्व की दुकान आबंटन के संबंध में पत्र क्र. 618 दिनांक 17.08.2016 को ऑफर दर आमंत्रण सूचना आमंत्रित की गई थी, निर्धारित अवधि में प्राप्त उच्चतम दर का विवरण :– 1. श्री मनोज कुमार चौहान दु.क्र. 44 अ.जा. 1,71,000/– 2. श्री सुजीत कुमार पनगरे दु.क्र. 51 अ.जा. 1,71,000/– 3. श्री राम मनोहर यादव दु.क्र. 52 भू.पू.सै. 1,69,000/– रुपया है, जिसकी स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – सामान्य सभा में प्रकरण रखा जावे। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रस्ताव सर्वसम्मिति से स्वीकृत।
6.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक 04.11.2016 के **प्रस्ताव क्र. 39** – सार्वजनिक रामलीला समिति एवं स्टेशन चौक युवा समिति रायगढ़ द्वारा पत्र प्रेषित कर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सहयोग राशि 25,000/– रु. मांग किया गया है। वर्ष 2015–16 में 15,000/– रु. अनुदान दोनों समितियों को प्रदान किया गया है। प्रस्ताव पर विचारार्थ एवं निर्णय। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – परिषद् बैठक में रखा जावे। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	सार्वजनिक रामलीला समिति को 15000.00 स्टेशन चौक युवा समिति रायगढ़ को15000 रू.सहयोग राशि के रूप में प्रदान करने स्वीकृति दी जाती है। तथा भविष्य में सह राशि हेतू राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन के आवेदन पर विचार किया जावेगा। प्र सर्वसम्मिति से स्वीकृत।

निगम सचिव

c:\users\user\desktop\parishist bhawan.docx

स.क्र.	विषय	
7.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 27.12.2016 के **प्रस्ताव क्र. 15** – एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 41 नगर पालिक निगम रायगढ़ के समस्त विभागों पर परिसम्पत्ति रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2016--17 के लिये 261 प्लेसमेंट कर्मचारियों कुशल 166 अर्द्धकुशल 16 अकुशल 79 श्रमिकों को प्लेसमेंट पर कार्य हेतु अनुमानित लागत 252.00 लाख रुपये दिनांक 15.08.2016 को निविदा आमंत्रित किया गया। कुल 05 निविदा प्राप्त हुआ है। जिसमें श्री अशोक शर्मा का न्यूनतम दर 252.00 लाख से 7 प्रतिशत अधिक दर 269.64 रु. प्राप्त हुई है। जिसकी स्वीकृति पर विचार। दिनांक 10.11.2016 को समक्ष में बुलाई जावे का निर्णय हुआ था, तद्नुसार पुनः प्रस्तुत। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – श्री अशोक शर्मा का प्राप्त न्यूनतम दर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। परिषद् में रखा जावे। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	उक्त संबंध में निविदा 01 वर्ष 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 हेतु समस्त विभागो पर परिसंम्पती रख रखाव हेतु प्लेसमेंट कर्मचारी कुशल 116,अर्द्धकुशल 16,अकुशल 79 कुल 261 प्लेसमेंट कर्मचारी कार्य हेतु अनुमानित लागत 252.00 लाख रुपये से 7 प्रतिशत अधिक दर 2,69,64.00 रू. वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है। इस अवधि के लिये ठेकेदार से सहमति पत्र लिया जावे।
8.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 27.12.2016 के **प्रस्ताव क्र. 17** – वृहद मात्रा में कचरा उत्पाद करने वाले संस्थान (बल्क जनरेटर्स) के लिए आवश्यक निर्धारण। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – 1. बल्क जनरेटरों के द्वारा स्वयं के भूमि/उपलब्ध स्थान पर कम्पोस्टिंग पिट बनाकर ऑन साईट कम्पोस्टिंग कराई जावे। 2. बल्क जनरेटरों के पास कम्पोस्टिंग हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होने की दशा में बल्क जनरेटरों के द्वारा स्वयं के संसाधन से अपशिष्ट पदार्थ निगम के निर्धारित स्थल पर निपटारा हेतु भेजा जावेगा। 3. निगम के द्वारा ऐसे अपशिष्टों का निपटान हेतु परिवहन की दशा में शासन द्वारा इस हेतु निर्धारित दर से बल्क जनरेटरों से राशि वसूली किया जावे। परिषद् हेतु अनुशंसित। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	एमआईसी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सर्वसम्मति से स्वीकृत।

c:\users\user\desktop\parishist bhawan.docx

निगम सचिव

स.क्र.	विषय	
9.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 27.12.2016 के **प्रस्ताव क्र. 18** – स्वास्थ्य विभागके अंतर्गत 320 प्लेसमेंट श्रमिक एजेंसी निर्धारण के संबंध में। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – सबीना कन्सट्रक्शन की प्राप्त न्यूनतम दर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। स्वीकृति हेतु परिषद् में रखा जावे। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 320 प्लेसमेंट श्रमिक हेतु सबीना कन्सट्रक्शन की प्राप्त न्यूनतम दर अर्द्धकुशल हेतु 8107.60 रू. एवं अकुशल हेतु 7925.00 रू. को 06 माह 01 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक की वित्तिय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। कार्य संतोष जनक होने की दशा में आयुक्त द्वारा 06 माह की स्वीकृति प्रदान कर परिषद में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेंगे।
10.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 27.12.2016 के **प्रस्ताव क्र. 21** – निर्माण/मरम्मत कार्यों से उत्पन्न कचरा (सी. एन्ड डी. वेस्ट) के संबंध में नीति निर्धारण बाबत्। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – प्रकरण प्रस्तुत हुआ, नगर पालिक निगम के ट्रैक्टर से प्रति ट्रैक्टर 500 रुपये एवं प्रति ऑटो 150 रुपये लिया जावे। परिषद् हेतु अनुशंसित। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत।
11.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 27.12.2016 के **प्रस्ताव क्र. 13** – एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्र. 30 माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र कार्यालय मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त पत्र में कृषि उपज मंडी व ईतवारी बाजार में रिक्त परिसर को सीजन बाजार के उपयोग हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित करने के संबंध में मांग किया गया है, जिस पर विचार एवं निर्णय। स्थल निरीक्षण पूर्ण जानकारी के साथ आगामी बैठक में रखा जावे का निर्णय हुआ था, तद्नुसार पुनः प्रस्तुत। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – प्रस्ताव स्वीकृत। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत।
12.	अध्यक्ष, मड़ई महोत्सव रायगढ़ को दिनांक 08.01.17 को मड़ई महोत्सव कार्यक्रम हेतु एम.आई.सी. की प्रत्याशा में अनुदान राशि रु. 25,000/– दिया जाना स्वीकृत किया गया है। तद्नुसार परिषद् बैठक में रखे जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।	मड़ई महोत्सव रायगढ़ को 15000.00 रू.राशि के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। तथा भविष्य में सहयोग राशि हेतू राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन के ही आवेदन पर विचार किया जावेगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत।
13.	अध्यक्ष, युवा कलाकार समिति रायगढ़ को दिनांक 24, 25 व 26 जनवरी 2017 कला	चूंकि युवा कलाकार समिति रायगढ़ द्वारा जनवरी 2017 में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक

c:\users\user\desktop\parishist bhawan.docx

नगर सचिव

स.क्र.	विषय	
	प्रदर्शनी हेतु सहयोग राशि देने बाबत्। एम. आई.सी. की प्रत्याशा में अनुदान राशि रु. 25,000/— दिया जाना स्वीकृत किया गया है। तद्नुसार परिषद् बैठक में रखे जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।	कला प्रर्दशनी कार्यक्रम इस वर्ष नही कराया गया है,इस कारण इनकी सहयोग राशि अस्वीकृत की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत।
(च)	**पार्षदों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर वक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव,**	

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

c:\users\user\desktop\parishist bhawan.docx